जैनाचार्य श्रीमद विजय रत्न सुन्दरसुरीश्वरजी महाराज साहेब

सेवा में,

राज्य सभा

जैन आचार्य श्रीमद विजय रत्न सुन्दरसुरीश्वरी (जैन तपागच्छ समुदाय के आचार्य) की मुख्य याचिका जिसका पत्राचार का पता रत्नात्रियायी ट्रस्ट, 258, गांधी गली, स्वदेशी मार्किट कल्बादेवी रोड, मुम्बई- 400 002 है।

और सह-याचिकाकर्त्ता

1) **प्रवीण बी. जैन, न्यासी,** श्री भुवन भानु सुरीश्वरजी जीवदया ट्रस्ट, विल्होली, नासिक, जिसका पत्राचार का पता-2 रेवती अपार्टमेंट; संभाजी स्टेडियम के सामने, सिडको, नासिक 422 009 है।

2) **हितेश एल. शाह,** शेयर स्टॉक ब्रोकर, जिसका पत्राचार का पता - 75 पेरिन, नारीमन स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, फोर्ट, मुम्बई - 400001 है।

(1) विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी की पृष्ठभूमि में विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ाने के लिए मांस के निर्यात को एक प्रमुख क्षेत्र माना गया था। अत: केन्द्र सरकार ने वर्ष 1991-92 में मांस निर्यात नीति आरंभ की थी। इस नीति के अनुसरण में निजी क्षेत्र में अनेक निर्यात-केन्द्रित बूचड़खाने स्थापित किए गए हैं।

(2) आन्ध्र प्रदेश में मैसर्स अल-कबीर एक्सपोर्ट लिमिटेड नामक ऐसी ही एक प्रारंभिक ईकाई की स्थापना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और बाद में उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी और उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ बनाम ए.पी. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एवं अन्य [2006 (4) एसएससी 162] मामलें में दिनांक 29-03-2006 के अपने निर्णय में केन्द्र सरकार से मांस निर्यात नीति की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय का निर्देश था कि **"भारत के संविधान के तहत राज्य नीति के निदेशक तत्वों के आलोक में मांस निर्यात नीति की समीक्षा की जाए, और नीति के पशुधन पर संभावित हानिकारक प्रभावों, तथा इसलिए देश की अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभावों के आलोक में भी नीति की समीक्षा की जाए।"**

(3) तत्पश्चात् वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 3-5-2007 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें वर्त्तमान नीति को जारी रखने के संबंध में इसके निर्णय का उल्लेख किया गया है।

(4) याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वाणिज्य मंत्रालय राज्य नीति के निदेशक तत्वों और इस नीति के संभावित हानिकारक प्रभावों, दोनों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की चिंता को

(6) याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली में अपने एक कार्य संचालक के नाम से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपर्युक्त सभी विभागों/मंत्रालयों से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त पत्रों की प्रतियां मांगी थीं। उत्तरों को देखने पर पता चलता है कि कुछ ने कहा है कि उनके पास कोई-जानकारी नहीं है, कुछ ने कहा है कि उनका इस विषय से कोई संबंध नहीं है, कुछ ने ऐसे आंकड़े दिए हैं जिनका इस विशिष्ट विषय से कोई सरोकार नहीं है, कुछ ने मांस निर्यात के संबंध में लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक आदेशों का उल्लेख किया है। तथापि, किसी भी विभाग ने उच्चतम न्यायालय के अत्यंत विशिष्ट और स्पष्ट निदेशों के संदर्भ में इन मुद्दों का मूल्यांकन नहीं किया है। **संक्षेप में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विचार पूर्णतया तर्कहीन हैं।**

(7) वाणिज्य मंत्रालय ने आने कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि 14 मार्च, 2007 को मांस निर्यात नीति की समीक्षा की मांग करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों की सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दे पर्यावरण, स्वच्छता, राष्ट्र को आर्थिक हानि, पशुओं के प्रति क्रूरता और सामाजिक प्रभावों से संबंधित थे। यह दलील दी गई कि मांस निर्यात नीति का गाय और नवजात पशुओं के मांस का निर्यात करने के लिए उपयोग किए जाने के अलावा इसकी समीक्षा करने के संबंध में कोई विशिष्ट तर्क नहीं दिया गया था। तथापि यह सच नहीं है। वर्त्तमान याचिकाकर्ताओं ने 13 अध्यायों वाला एक विस्तृत अभ्यावेदन दिया था जिसमें सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया था।

(8) मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि मांस निर्यात पर रोक लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी तथा विदेशी धन की आमद में कमी आएगी और इससे किसानों की आय भी प्रभावित होगी। मंत्रालय केवल मांस निर्यात के व्यापार से जुड़े लोगों के लिए सृजित रोजगार पर ही ध्यान दे रहा है। तथापि, इससे अपेक्षाकृत कहीं अधिक बड़ा वर्ग पशुओं से जुड़े अपने रोजगार से वंचित हो गया है या यूं कहें कि यह वर्ग व्यवस्था में पर्याप्त पशुओं की कमी के कारण लाचार महसूस कर रहा है। यहां जनसमुदाय के

एक बड़े भाग के रोजगार के साथ जनसमुदाय के एक छोटे से भाग के रोजगार की तुलना करने का मामला है।

(9) मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि रोक लगाने से अनुत्पादक पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। तथापि, केवल आंकड़ों से ही सही स्थिति का पता नहीं चलता। यदि इन आंकड़ों में वृद्धि हो, तो भी हमारी जनसंख्या की तुलना में उनकी संख्या घट रही है। आगे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित आंकड़े भी भ्रामक हैं क्योंकि इन्हें जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष देखना होगा। औसत के सिद्धांत की स्वाभाविक कमियों के कारण दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता से संबंधित आंकड़े भी भ्रामक हैं।

(10) मंत्रालय का यह तर्क अस्वीकार्य है कि मांस निर्यातों पर रोक लगाने से अनधिकृत पशुवध की घटनाओं में वृद्धि होगी। यदि इस तरह की रोक को सही ठहराया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि इसे लागू किया जाए। इस तरह की रोक लगाने की असमर्थता को औचित्यपूर्ण् नहीं ठहराया जा सकता। आगे, मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि देश के मांस उत्पादन के केवल 7.62% का निर्यात किया जाता है। यदि मांस का निर्यात इतने छोटे स्तर पर होता है, तो इस पर रोक लगाने के पक्ष में निर्णय लेना अपेक्षाकृत और भी आसान है। यह तर्क दिया गया कि निर्यातों से बूचड़खानों में गुणवत्ता बोध में वृद्धि होती है। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि पूरे देश में (केवल बड़े शहरों को छोड़कर) उपयोग किए जाने वाले मांस के बड़े भाग का उत्पादन अस्वास्थ्यकर स्थितियों में होता है। पूरे देश के प्राधिकृत बूचड़खानों के मामले में भी अधिकांश बूचड़खानों में जारी स्थितियों के संबंध में राज्यों के जनसंख्या नियंत्रण विभागों के प्रतिवेदन चौंकाने वाले होंगे।

(11) यह तर्क दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान नीति को समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया है। चूंकि यह नीतिगत मामला है, स्पष्टत: इसी कारण से उच्चतम न्यायालय ने अपने निदेश द्वारा इस तरह की रोक लगाने का निर्णय नहीं लिया है, बल्कि उसने केंद्र सरकार को यह निदेश दिया है कि वह नीति निदेशक तत्वों और पशुधन तथा देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर व हानिकारक प्रभावों के आलोक में मांस निर्यात नीति की समीक्षा करे। उक्त निदेश से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा है और यह नीति अत्यंत हानिकारक है। उच्चतम न्यायालय की इन चिंताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

(12) मांस निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और 2005-06 में भैंस के मांस का निर्यात 4,59,938 मीट्रिक टन था, जिसका मतलब यह हुआ कि लगभग 50 लाख जवान और स्वस्थ भैंसों का वध किया गया।

(13) मांस के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार जवान और स्वस्थ पशुओं का ही वध किया जाना अपेक्षित है और राज्य के स्थानीय कानूनों के अनुसार, जवान और स्वस्थ पशुओं का वध करने पर प्रतिबंध है। जैसा कि इसी मामले में 1997 में अपने एक अंतरिम आदेश में उच्चतम न्यायालय ने नोट किया था, यह असमाधेय अंतर्विरोध है। साथ ही, उन उपयोगी पशुओं की सुरक्षा के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है जो कृषि के लिए आवश्यक हैं।

(14) इतनी बड़ी संख्या में पशुओं का वध किए जाने से राष्ट्र उनकी पशु-विष्ठा से वंचित हो जाता है, जिससे कृषि प्रभावित होती है और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता नष्ट होती है, खेत, जल, वायु और अनाज का प्रदूषण होता है तथा कृषि क्षेत्र में लागत में वृद्धि होती है। इससे संविधान के अनुच्छेद 48 के प्रावधानों का उल्लंधन होता है और उच्चतम न्यायालय ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने निर्देश में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात की थी।

(15) रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों की बढ़ती लागतों के कारण, केन्द्र सरकार पर राजसहायता का भारी बोझ पड़ता है। पिछले पांच दशकों में करदाताओं के लाखों-करोड़ो रूपये खाद्य और उर्वरक संबंधी राजसहायता पर बेकार में खर्च कर दिए गए। पिछले तीन दशकों में खाद्य और उर्वरक संबंधी राजसहायता के आंकड़ों का अध्ययन करना रोचक होगा। भारतीय उर्वरक संघ, नई दिल्ली (फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया) द्वारा प्रकाशित उर्वरक संबंधी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1976-77 के दौरान खाद्य और उर्वरक पर दी गई 537 करोड़ रूपये की कुल राजसहायता आश्चर्यजनक ढ़ंग से बढ़कर 2007-08 के लिए 22,451 करोड़ रूपये (यह केवल उर्वरक से संबंधित राजसहायता है, क्योकि खाद्य राजसहायता संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) हो गई है और 2007-08 तक कुल संचित बोझ 4,00,933 करोड़ रूपये है।

(16) रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने केवल रासायनिक उर्वरकों पर राजसहायता देने हेतु अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक लाख करोड़ रूपये आवंटित करने की मांग की है और यदि हम इसी गति से पशुओं का वध करते रहे, तो राजसहायता की आवश्यकता लगातार तेज गति से बढ़ती रहेगी।

(17) माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरेशी कसाब जमात [2005 (8) एसएससी 534] के मामले में यह समुक्ति की है कि पशु अपनी पशु-विष्ठा और अपने मूत्र, जो कि जैविक खाद और जैविक कीटनाशक के स्त्रोत हैं, की उपयोगिता के कारण किसी भी समय अनुपयोगी नहीं होते।

(18) मांस निर्यात नीति के परिणाम स्वरूप, मवेशियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। मानव और पशु का अनुपात लगातार घट रहा है और अन्य कृषि अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, इस अनुपात में भारत का स्थान बहुत नीचे है।

(19) 14वीं लोक सभा में कृषि संबंधी स्थाई समिति ने अगस्त 2004 में प्रकाशित अपने प्रतिवेदन में पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाने की सिफारिश (सिफारिश सं. 11) की थी।

(20) इस नीति की सार्थक समीक्षा के लिए निम्नलिखित पांच बुनियादी मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए:

क) मांस निर्यात से कुछ लोगों की आर्थिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय पशुधन की क्षीणता की अनुत्क्रमणीय स्थिति उत्पन्न होती है। मांस निर्यात से हमारे फुरतीले और स्वस्थ पशुओं की कीमत पर अन्य देशों की आवश्यकता पूरी होती है।

ख) कसाईयों द्वारा मौलिक अधिकार का दावा किए जाने से समाज के अपेक्षाकृत कहीं अधिक बड़े वर्ग के मौलिक अधिकार का हनन होता है, जो अपनी आजीविका के लिए मवेशी पर निर्भर है। उपयोगी पशुओं की घोर कमी के कारण अनाज, दूध, घी आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी कीमतें काफी हद तक प्रभावित हुई हैं।

ग) सरकार द्वारा मांस क्षेत्र के मौलिक अधिकार का संरक्षण संविधान में सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव रखने के मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51 क) के विपरीत है। क्या सरकार, जिसे मूल कर्त्तव्यों का पालन करने वाले एक आदर्श प्रतिमान के रूप में देखा जाता है, को मूल कर्त्तव्यों के अतिक्रमणकारी के रूप में देखा जा सकता है?

घ) रोजगार की स्वतंत्रता किसी पशु का या कितने भी पशुओं का वध करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकती। यदि कुछ विदेशी धन अर्जित करना ही एकमात्र मानदंड है, तो हर उस चीज को नष्ट कर देना चाहिए या उसका निर्यात कर देना चाहिए जिससे लाभ अर्जित हो।

ङ) मांस उद्योग के व्यापार, व्यवसाय और पेशे की स्वतंत्रता पर्यावरण और प्राणिजगत के लिए विनाशकारी है।

(21) मांस निर्यात नीति अनुच्छेद 19(1)(छ), अनुच्छेद 39(ख) और (ग), अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क और अनुच्छेद 51क जैसे विभिन्न संवैधानिक उपबंधों का उल्लंधन है। पशुओं का वध करने की अनुमति देने वाली सरकार की नीति को कोई वैधानिक या संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत, यह नीति उस अनुच्छेद 48 का उल्लंधन है जिसमें पशुओं के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए सुस्पष्ट आदेश दिए गए हैं। यह नीति अनुच्छेद 21 का भी उल्लंधन है।

(22) मांस निर्यात नीति विभिन्न 'राज्य पशु संरक्षण कानूनों' (स्टेट एनिमल प्रिजर्वेशन लॉज) का उल्लंघन है। इन कानूनों में पशुओं के जीवनकाल और उनकी उपयोगिता के आधार पर पशुओं के वध को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही इन कानूनों में वध के लिए पशुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने और ले आने का भी प्रतिषेध है। पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और ले आना एक हिंसक कृत्य है, इसलिए इस कृत्य से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन होता है।

(23) यद्यपि निर्यात के लिए गौ-सन्तति पशुओं के वध पर रोक है, लेकिन मांस के निर्यात के लिए भैंसों के वध की आड़ में गुप्त रूप से मवेशियों का बड़े पैमाने पर वध किया जा रहा है। देश में मवेशी की घटती संख्या इस तथ्य का प्रमाण है। निर्यात के लिए बूचड़खानों और गोदामों से भेजा जाने वाला गो मांस बड़ी मात्रा में बरामद किए जाने के कई उदाहरण सामने आए हैं।

(24) भारत के विधि आयोग ने अपने 159वें प्रतिवेदन में, राष्ट्रीय गोवंश आयोग ने 31 जुलाई 2002 को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में तथा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी कार्यकारी समिति की 67वीं बैठक में मांस निर्यात पर रोक लगाने की सिफारिश की है।

(25) पशु राष्ट्रीय धन और समाज की साझी संपति हैं और कुछ व्यक्तियों तथा कंपनियों के आर्थिक लाभ के लिए पशुओं का अंधाधुंध वध कर इस धन को नष्ट नहीं किया जा सकता है।

(26) 1991-92 में विदेशी धन की कमी को पूरा करने के लिए मांस का निर्यात शुरू किया गया था। तथापि, अब देश में यूएस $300 बिलियन (12 लाख करोड़ रूपये) से अधिक विदेशी धन संचित है। इसके अलावा, इस कालावधि के बाद से कुछ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, जो मांस क्षेत्र द्वारा प्रति वर्ष अर्जित मात्र 3000 करोड़ रूपये के विदेशी धन की तुलना में प्रति वर्ष 2,50,000 करोड़ रूपये से अधिक विदेशी धन अर्जित करते हैं।

(27) वस्तुत:, इस नीति की समीक्षा और इस मुद्दे के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के समेकित दृष्टिकोण की समीक्षा के लिए आवश्यक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंकड़ों का पूर्णतया अभाव है। स्थानीय स्तर पर उपभोग करने और निर्यात करने के लिए पूरे देश में वध किए जाने वाले पशुओं की आवश्यकता की तुलना में वध किए जाने लायक पशुओं की उपलब्धता के बारे में विचार करने के लिए कोई निगरानी व्यवस्था नहीं की गई है। वध किए जाने लायक पशुओं का निर्धारण करने संबंधी मानदंड के मामले में राज्यों के कानून एक समान नहीं हैं और वध के लिए पशओं को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र ले जाने और ले आने के कारण राज्यों के कानूनी उपबंधों का उल्लंघन होना है। पशुओं की गणना से संबंधित कार्यकलाप में वध किए जाने लायक पशुओं के संबंध में आंकड़े संग्रहित करने

तद्नुसार, याचिका-दाता यह प्रार्थना करता है कि याचिका संबंधी समिति भारत सरकार की मांस निर्यात नीति के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करे और इस संबंध में सरकार से उपयुक्त सिफारिश करे ताकि याचिका में उठाई गई आपत्तियों को दूर किया जा सके।

याचिकादाताओं के नाम	पता	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
जैन आचार्य विजय रत्नसुंदरसुरी (जैन तपगच्छा समुदाय के आचार्य)	रत्नात्रयी न्यास, 258 गांधी गली स्वदेशी मार्केट काल्बादेवी रोड मुंबई - 400 002	ह./-

सह याचिकादाताओं के नाम	पता	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रवीण बी. जैन श्री भुवन भानु सुरीश्वरजी जीवदया न्यास, विलाहोली, नासिक के न्यासी	2 रेवती अपार्टमेन्ट्स सम्भाजी स्टेडियम के सामने सिडको, नासिक 422 009	ह./-
हितेश एल. शाह शेयर स्टॉक ब्रोकर	75, पेरिन नरीमन स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, फोर्ट, मुंबई - 400001	ह./-

ह./- (एस. एस. अहलुवालिया) संसद सदस्य (राज्य सभा)

प्रस्तुत करने वाले सदस्य का प्रति हस्ताक्षर